

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51]

दिल्ली, सोमवार, मार्च 25, 2013/चैत्र 4, 1935

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 302

No. 51]

DELHI, MONDAY, MARCH 25, 2013/CHAITRA 4, 1935

[N.C.T.D. No. 302

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 25 मार्च, 2013

सं. 24(6)/2009/विसस-4/विधायी/1984.—दिल्ली विधान सभा के निम्नलिखित सदस्य वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए उनके सामने दर्शाए गए समितियों के सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं :—

लोक लेखा समिति

1. श्री नसीब सिंह
2. श्री वीर सिंह धिंगान
3. श्री राजेश जैन
4. श्री देवेन्द्र यादव
5. श्री नन्द किशोर
6. श्री सुमेश शौकीन
7. श्री साहब सिंह चौहान
8. श्री जय भगवान अग्रवाल
9. श्री श्यामलाल गर्ग

प्राक्कलन समिति

1. चौ. मतीन अहमद

2. श्री प्रहलाद सिंह साहनी

3. श्री नन्द किशोर

4. श्री जसवंत राणा

5. श्री हरिशंकर गुप्ता

6. श्री अरविन्दर सिंह

7. श्री एस.पी. रातावाल

8. श्री सुभाष सचदेवा

9. श्री रविन्द्रनाथ बंसल

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

1. श्री मालाराम गंगवाल

2. श्री मुकेश शर्मा

3. श्री राजेश लिलोठिया

4. श्री जय किशन

5. श्री सुमेश शौकीन

6. श्री अरविन्दर सिंह

7. श्री नरेश गौड़

8. श्री रमेश बिधूड़ी

9. श्री कुलवंत राणा

पी.एन. मिश्रा, सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

NOTIFICATION

Delhi, the 25th March, 2013

No. 24(6)/2009/LAS-IV/Leg./1984.—The following Members of Delhi Vidhan Sabha have been elected unopposed to the respective Financial Committee for the financial year 2013-14 as shown below against, each :—

1. Public Accounts Committee

- (i) Shri Naseeb Singh
- (ii) Shri Veer Singh Dhingan
- (iii) Shri Rajesh Jain
- (iv) Shri Devender Yadav
- (v) Shri Nand Kishore
- (vi) Shri Sumesh Shokeen
- (vii) Shri Sahab Singh Chauhan
- (viii) Shri Jai Bhagwan Aggarwal
- (ix) Shri Shyam Lal Garg

2. Estimates Committee

- (i) Ch. Mateen Ahmed
- (ii) Shri Prahlad Singh Sawhney
- (iii) Shri Nand Kishore
- (iv) Shri Jaswant Rana
- (v) Shri Hari Shankar Gupta
- (vi) Shri Arvinder Singh
- (vii) Shri S.P. Ratawal
- (viii) Shri Subhash Sachdeva
- (ix) Shri Ravinder Nath Bansal

3. Committee on Government Undertakings

- (i) Shri Mala Ram Gangwal
- (ii) Shri Mukesh Sharma
- (iii) Shri Rajesh Liloithia
- (iv) Shri Jai Kishan
- (v) Shri Sumesh Shokeen
- (vi) Shri Arvinder Singh
- (vii) Shri Naresh Gaur
- (viii) Shri Ramesh Bidhuri
- (ix) Shri Kulwant Rana

P.N. MISHRA, Secy.

शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 25 मार्च, 2013

सं. डीई15(206)/अधि./2013/7902-7916.—निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम 35) की धारा 38 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली स्कूल शिक्षा (आर्थिक रूप से कमजोर तथा लाभहीन वर्ग के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क सीटें) आदेश, 2011 को संशोधित करते हुए निम्नलिखित नियम बना रहे हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

- (1) इन नियमों को दिल्ली निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा नियम (संशोधित) नियम, 2013 कहा जाएगा।
- (2) यह राजपत्र के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

2. दिल्ली निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा नियम, 2011, (अब के बाद "प्रधान नियम" से जाना जाएगा) के खण्ड (ब) उप नियम (1), नियम (2) के बाद निम्नलिखित उपखण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

“(बब) समुचित प्राधिकारी का अर्थ समुचित प्राधिकारी जैसाकि दिल्ली विद्यालय